रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 | REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1938] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2012/आश्विन 5, 1934
No. 1938] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2012/ASVINA 5, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2012

का.आ. 2318(अ).—यत: दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 7-2-2007 की सं. का.आ. 141(अ) की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक पांच वर्ष में इसकी समीक्षा/संशोधन की व्यवस्था की गई है;

और यत: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 की समीक्षा/संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है;

और यत: शहरी विकास मंत्रालय में विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्राप्त अभ्यावेदनों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजा गया है ताकि उन पर दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 की समीक्षा/संशोधन के दौरान विचार किया जा सके;

अत:, अब, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 52 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 की समीक्षा/संशोधन के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की उप-धारा 11ए के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों को, जहां तक किसी व्यक्ति से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने का संबंध है, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भी प्रयुक्त किया जाएगा।

[सं. के-12011/7/2011-डीडी I बी]

जे. पी. अग्रवाल, निदेशक (दिल्ली प्रभाग)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2012

S.O. 2318(E).—Whereas the Master Plan for Delhi, 2021 was notified *vide* Notification of the Government of India in the Ministry of Urban Development number S.O. 141(E), dated the 7-2-2007, which *inter alia* provides for its review/modification in every five years;

And whereas, Delhi Development Authority has initiated the process of review/revision of Master Plan for Delhi, 2021 through public participation;

And whereas, a large number of representations from various quarters received in the Ministry of Urban Development have been forwarded to the Delhi Development Authority for consideration during the review/revision of Master Plan for Delhi, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 52 of the Delhi Development Act, 1957(61 of 1957), the Central Government hereby directs that the power exercisable by it under sub-section 11A of the said Act for the purpose of review/modification of Master Plan for Delhi, 2021 shall also be exercisable by the Vice-Chairman, Delhi Development Authority in so far as it relates to issuing public notice for inviting objections and suggestions from any person.

[No. K-12011/7/2011-DDIB]

J. P. AGRAWAL, Director (Delhi Division)

3888 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054